झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत लेखा पदाधिकारी (विज्ञापन संख्या–06/2019) के पद पर सीधी भर्त्ती हेतु औपबंधिक रूप से साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार संबंधी आवश्यक सूचना।

नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं0–06/2019 के आलोक में औपबंधिक रूप से साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक–09.11.2022 एवं साक्षात्कार दिनांक–10.11.2022 को आयोग कार्यालय में निम्न कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित है।

अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है :–

अभिलेख सत्यापन हेतु उम्मीदवारों का अनुक्रमांक (तिथि–09.11.2022 एवं समय 10:00 बजे पूर्वाहन से)					
62190160	62190792	62190984	62191906	62192714	62193364
62190240	62190793	62191121	62191966	62192731	62193449
62190272	62190794	62191137	62192011	62192751	62193519
62190297	62190797	62191326	62192054	62192841	
62190527	62190852	62191333	62192230	62192976	
62190571	62190882	62191617	62192276	62193123	
62190645	62190951	62191738	62192584	62193136	
62190781	62190964	62191905	62192620	62193337	
साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों का अनुक्रमांक (तिथि–10.11.2022 एवं समय 09:30 बजे पूर्वाहन से)					
62190160	62190792	62190984	62191906	62192714	62193364
62190240	62190793	62191121	62191966	62192731	62193449
62190272	62190794	62191137	62192011	62192751	62193519
62190297	62190797	62191326	62192054	62192841	
62190527	62190852	62191333	62192230	62192976	
62190571	62190882	62191617	62192276	62193123	
62190645	62190951	62191738	62192584	62193136	
62190781	62190964	62191905	62192620	62193337	

2. शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण का दावा करने संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख विज्ञापन एवं आयोग द्वारा दिनांक–23.06.2021 से निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में जमा किये गये Hard Copy के आधार पर सत्यापन की तिथि को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. उक्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा एवं उक्त प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैसे उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र दिनांक 04.11.2022 से आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा।

5. अभिलेख सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को विज्ञापन के आलोक में उल्लेखित अपनी शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं अन्य दावों से संबंधित निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा :–

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/अंक पत्र।

(ii) विज्ञापन में उल्लेखित स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iii) आरक्षण (उदग्र/क्षैतिज) (Vertical/Horizontal) का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को देय है जो झारखण्ड के स्थायी निवासी हैं जिसके लिए उन्हें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

कृ0पृ0उ0

(iv) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के उम्मीदवारों के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के उम्मीदवारों को Non-Creamy layer सहित जाति प्रमाण–पत्र (Form-11) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प संख्या–1433, दिनांक–15.02.2019 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ज्ञापांक–235 दिनांक–10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(vii) दिव्यांगता संबंधी वैध प्रमाण पत्र।

(viii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो झारखण्ड सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(ix) अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(x) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग/संस्थान के प्रधान/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा– आधार कार्ड/पैन कार्ड/पास पोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि।

(xii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)।

यदि कोई उम्मीदवार अभिलेख सत्यापन के दिन उपरोक्त वर्णित वांछित मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हत्ता के संबंध में आयोग समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हत्ता सम्पुष्ट नहीं होता है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हत्ता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

7. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि से कोई एक मूल रूप में अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

8. संबंधित उम्मीदवार, उक्त कार्यक्रमानुसार साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित Reporting Time के अनुसार आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।

9. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

10. कोरोना संक्रमण (Covid-19) के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन SOP का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।